संख्याः–1552 / 79–6–16–1737 / 2010 टी0सी0–1

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 16-12 नवम्बर, 2016

विषयः–वित्तीय वर्ष 2016–17 के मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अनुदान सं0–71 के अन्तर्गत खाद्यान्न लागत मद में द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबधं में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0 / 1521–22 / 2016–17 दिनांक 29.08.2016 का संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रदेश के प्राथमिक (एन0सी0एल0पी0 विद्यालयों सहित) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों (जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाएं भी शामिल हैं) में मध्यान्ह भोजन योजना संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशानुसार भारतीय खाद्य निगम को समय से भुगतान प्राप्त कराने के लिए जनपदवार भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है, और इस हेतु केन्द्रांश के रूप में प्रश्नगत विद्यालयों के लिए खाद्यान्न उठान (गेहूं / चावल) हेतु द्वितीय किस्त के रूप में धनराशि रू0–566.05186 लाख (रूपया पांच करोड़ छियासठ लाख पांच हजार एक सौ छियासी मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार निर्गत किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

2– भारतीय खाद्य निगम को समय से भुगतान प्राप्त कराने के लिए जो बिल भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें, उसका सीधे भुगतान संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा, धनराशि का व्यय भारत सरकार / राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी अनियमितता के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–71 अधीन लेखाशीर्षक–"2202– सामान्य शिक्षा–01 प्रारम्भिक शिक्षा–आयोजनागत–112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए–0102–खाद्यान्न तथा 'प्रबन्धन व्यय (के.100 / रा.0–के.)–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2016/बी0–1–746–231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्रस्तर 2 (15) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,
(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2– श्रमायुक्त, कानपुर ।
3– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
4– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
5– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
8– समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
9– समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।
10– मुख्य वित्त अधिकारी, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
11– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3
12– अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग ।
13– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

Enclosure of GO-

[Mid-Day-Meal Scheme]

Fund Allocation to district for cost of foodgrain FY-2016-17

Gr-71 **Plan**

IInd Installment

Rs. In Lakh

Sl. No.	District	Fund to be Release to Districts
1	2	4
1	01-Agra	
2	02-Aligarh	16.59961
3	03-Allahabad	
4	04-Ambedkar nagar	
5	05-Auraiya	7.55338
6	06-Azamgarh	
7	07-Badaun	3.82969
8	08-Baghpat	
9	09-Bahraich	
10	10-Ballia	
11	11-Balrampur	24.17099
12	12-Banda	
13	13-Barabanki	
14	14-Bareily	
15	15-Basti	0.53601
16	16-Bhadohi	0.09888
17	17-Bijnour	
18	18-Bulandshahar	
19	19-Chandauli	
20	20-Chitrakoot	12.73729
21	21-Amethi	
22	22-Deoria	
23	23-Etah	31.34461
24	24-Faizabad	1.53908
25	25-Farrukhabad	70.67875
26	26-Fatehpur	
27	27-Firozabad	
28	28-G.B. Nagar	0.36667
29	29-Ghazipur	
30	30-Ghaziyabad	6.71206
31	31-Gonda	
32	32-Gorakhpur	
33	33-Hameerpur	20.55934
34	34-Hardoi	
35	35-Hathras	23.23500
36	36-Itawah	
37	37-J.P. Nagar	1.50476
38	38-Jalaun	1.21194
39	39-Jaunpur	79.18339

Sl. No.	District	Fund to be Release to Districts
40	40-Jhansi	
41	41-Kannauj	
42	42-Kanpur Dehat	
43	43-Kanpur Nagar	20.00753
44	44-Kaas Ganj	28.92175
45	45-Kaushambi	
46	46-Kushinagar	
47	47-Lakhimpur Kheri	
48	48-Lalitpur	
49	49-Lucknow	
50	50-Mahoba	24.43680
51	51-Mahrajganj	
52	52-Mainpuri	
53	53-Mathura	60.02650
54	54-Mau	
55	55-Meerut	
56	56-Mirzapur	
57	57-Moradabad	
58	58-Muzaffarnagar	
59	59-Pilibhit	
60	60-Pratapgarh	74.98260
61	61-Rai Bareily	
62	62-Rampur	
63	63-Saharanpur	
64	64-Santkabir Nagar	
65	65-Shahjahanpur	
66	66-Shrawasti	13.98092
67	67-Siddharthnagar	
68	68-Sitapur	
69	69-Sonbhadra	39.79146
70	70-Sultanpur	
71	71-Unnao	
72	72-Varanasi	
73	73-Sambhal	2.04285
74	74-Hapur	
75	75-Shamli	
Total		**566.05186**

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्याः—1552 / 79—6—16—1737 / 2010

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग—6

लखनऊः दिनांकः 16 दिसम्बर, 2016

विषयः—वित्तीय वर्ष 2016—17 के मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अनुदान सं0—71 के अन्तर्गत खाद्यान्न लागत मद में द्वितीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति के संबधं में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या—म0भो0प्रा0 / 1521—22 / 2016—17 दिनांक 29.08.2016 का संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016—17 में प्रदेश के प्राथमिक (एन0सी0एल0पी0 विद्यालयों सहित) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों (जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाएं भी शामिल हैं) में मध्यान्ह भोजन योजना संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा—निर्देशानुसार भारतीय खाद्य निगम को समय से भुगतान प्राप्त कराने के लिए जनपदवार भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है, और इस हेतु केन्द्रांश के रूप में प्रश्नगत विद्यालयों के लिए खाद्यान्न उठान (गेहूं / चावल) हेतु द्वितीय किस्त के रूप में धनराशि रू0—566.05186 लाख (रूपया पांच करोड़ छियासठ लाख पांच हजार एक सौ छियासी मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार निर्गत किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः—

C.F.O.
20.12.16

2— भारतीय खाद्य निगम को समय से भुगतान प्राप्त कराने के लिए जो बिल भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें, उसका सीधे भुगतान संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा, धनराशि का व्यय भारत सरकार / राज्य सरकार के दिशा—निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी अनियमितता के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016—17 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—71 अधीन लेखाशीर्षक—"2202— सामान्य शिक्षा—01 प्रारम्भिक शिक्षा—आयोजनागत—112—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम—01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए—0102—खाद्यान्न तथा प्रबन्धन व्यय (के.100 / रा.0—के.)—20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2016/बी0–1–746–231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्रस्तर–2 (19) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक–यथोक्त</u>

भवदीय,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

<u>संख्या 1552(1)/ 79–6–16–1737/2010, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2– श्रमायुक्त, कानपुर ।
3– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
4– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
5– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
8– समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
9– समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।
10– मुख्य वित्त अधिकारी, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
11– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3
12– अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग ।
13– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।